शिवलाल बनाम रामगोपाल

15-719

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांट वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम जांगलू के खसरा नम्बर 465 रकबा 41.98 हेक्टर, खसरा नम्बर 466 रकबा 1.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 468 रकबा 12.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 26.94 हेक्टर कुल तादादी 83.18 हेक्टर में से 6.93 हेक्टर भूमि का रिकार्डेड खातेदार है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के स्ट्रेनजर परचेजर है। ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसके विपररीत रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उपरोक्त भूमि रिकार्डेड खातेदार से क्रय की गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि के बोनाफाईड परचेजर होने के कारण रिकार्डेड खातेदार हो गये है। चूंकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अविभाजित भूमि है तथा प्रकरण में अन्य कोई अनावश्क पेचिदगियॉ उत्पन्न नहीं हो उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित किया गया है तथा प्रकरण वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित नहीं किया गया है। लिहाजा अपीलांट की इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रस्तुत मामलें में परीक्षण न्यायालय ने एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आगामी सुनवाई हेतु लम्बी अवधि की तिथि निर्धारित कर दी। जिसे इस न्यायालय में चुनौती दी गई। परीक्षण न्यायालय को न्यूनतम समय में दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए था। ताकि सहखातेदारों के अधिकार अनिश्चित काल के लिये प्रभावित न हो।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, नोखा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे एक माह के भीतर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर निर्णय करें। उक्त अवधि में निर्णय न करने पर पूर्व में दिनांक 04–01–2018 को जारी अस्थ्ज्ञाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जायेगी।

निर्णय आज दिनांक 15–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner